राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

जिला जबलपुर

निग0प्र.क्रं. 2125-एक/15

3-8-15

यह निगरानी किस राजस्व न्यायालय के किस आदेश दिनांक के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, निगरानी मेमो में नहीं बताया गया है । निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक ने भी यह नहीं बताया कि वह किस न्यायालय के किन पीठासीन अधिकारी के आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 6-218/ सात / सा-2 बी/90 दिनांक 10.5.1991 से विकलॉग केन्द्र की स्थापना हेतु 12100 वर्गफुट भूमि आवंटित की गई है जिसके अनुपालन हेतु तहसीलदार नजूल जबलपुर ने प्रकरण कमांक 5 अ 20(1)/90-91 में कार्यवाही प्रारंभ की है किन्तु पटटे के निष्पादन की कार्यवाही एंव कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जा रही है इसलिये विधिक प्रावधानों के अनुसार पटटे के निष्पादन की कार्यवाही एंव कब्जा देने की कार्यवाही हेतु आदेश दिये जॉय।

3/ निगरानी की ग्राहयता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 6-218/ सात / सा-2 बी/90 दिनांक 10.5.1991 की प्रस्तुत छाया प्रति के अवलोकन से पाया गया कि विकलॉग केन्द्र की स्थापना हेतु 12100 वर्गफुट भूमि आवंटित से हुई है और कार्यवाही पर अमल भी मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के नीति निर्देशों के अनुरूप उसी-स्तर से होगा। अतएव निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से इसी-स्तर पर समाप्त की जाती है।

4/ पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य

FIVE RUPEES पाँच रुपये INDIA भारत

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कं / दिनांक– / /2015

निगरानी 2125-I-15

आवेदक :– श्रीमती तविन्दर कौर सोनकर अध्यक्ष विकलांग सहायताकेन्द्र ग्राम तिलहरी मण्डला रोड जबलपुर म.प्र.

अनावेदक :– 1. तहसीलदार नजूल ओमती संभाग जबलपुर

2. म.प्र. शासन राजस्व विभाग

3.7.15

3-7-15

आवेदन पत्र म.प्र. भू.रा.सं. धारा–50 के अन्तर्गत

1. यह कि, आवेदिका विकलांग सेवा केन्द्र जबलपुर की अध्यक्ष है एवं उक्त समिति म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1973 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन कं– 302 है।

03/7/15

2. यह कि, समिति को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकलांग सेवा सहायता केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य शासन से भूमि की मांग की गई थी जिसके द्वारा राज्य शासन के द्वारा पत्र कमांक 6–218/सात/सा–2बी/90 भोपाल द्वारा ब्लाक नं.1 प्लाट नं. 1/1 स्थित 12100 वर्गफुट भूमि स्थाई पट्टे पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. यह कि, न्यायालय तहसीलदार नजूल द्वारा दिनांक– 21.05.1991 को 102 अ 20(1) 87–88 प्रकरण दर्ज किया गया एवं भूमि का मूल्यांकन प्रव्याजी 2,91,610/–रू. एवं उक्त भूमि व वार्षिक भूवाटक 14,580/–रू. जमा कर का आदेश पारित किया गया।